न्यायालय :– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, मधेपुरा

A.B.P. No.-690/2026

Bharrahi P.S Case No-268/2025

उपस्थित :– धीरेन्द्र कुमार राय
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–III
व्यवहार न्यायालय, मधेपुरा।

01. अभिनंदन कुमार उम्र करीब 28 वर्ष पे0 उमेश यादव

02 पुष्पक कुमार उम्र करीब 21 वर्ष पिता–दिनेश यादव

03. जमुना देवी उम्र करीब 50 वर्ष पति–उमेश यादव

साकिन–धुरगांव, वार्ड नं0–2, थाना–भर्राही, जिला–मधेपुरा।

.....आवेदकगण।

बनाम

बिहार सरकार.....प्रतिपक्षी

आदेश दिनांक 22 जून, 2026

प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन अभियुक्तगण अभिनंदन कुमार पे0 उमेश यादव, पुष्पक कुमार पे0 दिनेश यादव एवं जमुना देवी पति उमेश यादव के द्वारा भर्राही थाना कांड संख्या–268/2025 अन्तर्गत धाराऐं–126(2), 115(2), 118(1), 109, 303(2), 352, 351(2)(3), 3(5) भारतीय न्याय संहिता में पुलिस द्वारा गिरफ्तारी किये जाने की संभावना से बचने हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 के अन्तर्गत दाखिल किया गया है। अग्रिम जमानत आवेदन की प्रति विद्वान लोक अभियोजक को दी जा चुकी है।

जमानत आवेदन प्रचालित करते हुए आवेदक अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता श्री संतोष कुमार झा का यह कथन है कि आवेदक अभियुक्तगण पूर्णतया निर्दोष हैं। आवेदक अभियुक्तगण का कोई अग्रिम जमानत या नियमित जमानत आवेदन माननीय न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय पटना में दाखिल नहीं किया है और न ही लंबित है। आवेदक अभियुक्तगण को झूठा मुकदमा में फंसाया गया है। आवेदक अभियुक्तगण पर मारपीट करने का कोई आरोप नहीं है। आवेदक अभियुक्तगण संख्या–2 एवं 3 के विरूद्ध पूर्व से दो मुकदमा दर्ज है एवं अभियुक्त संख्या–1 के विरूद्ध चार मुकदमा दर्ज है। प्राथमिकी में लगाया गया अभियोग आवेदक अभियुक्तगण पर नहीं बनता है। उभय पक्षों के बीच भूमि विवाद है। जिसका टी0एस0 संख्या–219/2015 लंबित है। आवेदक अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कहना है कि आवेदक अभियुक्तगण न्यायालय द्वारा अधिरोपित किये जाने वाले सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार है। अतः आवेदक अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत की सुविधा दी जाय।

विद्वान लोक अभियोजक जमानत आवेदन पर घोर आपत्ति करते हुए कहते है कि अभियुक्तगण के द्वारा कारित घटना गंभीर एवं अजमानतीय प्रकृति का है। आवेदक अभियुक्तगण की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किये जाने योग्य है।

अभियोजन का कथन संक्षेप में है कि सूचिका कल्पना देवी साकिन धुरगॉव वार्ड नं0–2, थाना भर्राही, जिला मधेपुरा के स्थायी निवासी हैं। दिनांक 02.12.2025 समय करीब 08:00 बजे सुबह सूचक के

न्यायालय :– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, मधेपुरा

A.B.P. No.-690/2026

Bharrahi P.S Case No-268/2025

आदेश दिनांक 22 जून, 2026

ग्रामीण रोहित कुमार, रंजीत कुमार, अभिनंदन कुमार, दिनेश यादव, वीणा देवी, पुष्पक कुमार, उमेश यादव एवं जमुना देवी सूचिका के खेत का आड़ काटकर अपने खेत में मिला रहे थे। सूचिका को जानकारी हुई तो सूचिका के पति वहां पर पहुॅचकर आड़ काटने से मना कर वापस घर आकर घरेलू कार्यों में व्यस्त हो गया। सूचिका के पति एक घंटा बाद समय करीब 09:00 बजे सुबह उपरोक्त नामित अभियुक्तगण हरवे–हथियार से लैश होकर सूचिका के दरवाजा पर आये और सूचिका के पति को गंदी–गंदी गाली देना शुरू कर दिये। विरोध करने पर अभिनंदन कुमार के आदेश पर रोहित कुमार ने हाथ में लिए लोहे के रड से सूचिका के पति के सिर पर मारा, जिससे सिर फट गया। सूचिका का जमीन पर गिर कर छटपटाने लगा। उपरोक्त नामित अभियुक्तगण सूचिका के पति को लाठी, रड इत्यादि से मारपीट करने लग, जब तक कि मरनासन्न होकर बेहोश न हो गए। सूचिका एवं सूचिका का सास बीच–बचाव करने गयी तो रंजीत कुमार, दिनेश यादव एवं पुष्पक कुमार गाली–गलौज करते हुए मारपीट करने लगा। वीणा देवी सूचिका के गला से सोने का चैन, जमुना देवी सूचिका के सास के कान से सोने का बाली छीन लिये। जख्मी के ईलाज हेतु मेडिकल कॉलेज, मधेपुरा लाया गया। जहॉ ईलाज करने के दौरान खून की उल्टी होते देख कर चिकित्सक द्वारा बेहतर ईलाज हेतु पी0एम0सी0एच0, पटना रेफर कर दिया।

उभयपक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि सूचक के द्वारा आवेदक अभियुक्तगण के विरूद्ध धाराऐं–26(2), 115(2), 118(1), 109, 303(2), 352, 351(2)(3), 3(5) भारतीय न्याय संहिता के अन्तर्गत दर्ज किया गया है। प्राथमिकी के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक अभियुक्तगण के विरूद्ध गाली–गलौज एवं मारपीट करने का अभियोग लगाया गया है। वाद दैनिकी के पारा–2 में वादिनी का पुनः बयान अंकित है। वाद दैनिकी के पारा–6 में साक्षी पप्पु कुमार, पारा–7 में साक्षी रूपा देवी, पारा–8 में साक्षी अमेरीका देवी एवं पारा–24 में मिथिलेश यादव का बयान अंकित है। वाद दैनिकी के साथ संलग्न जख्मी मिथिलेश यादव का जख्म प्रतिवेदन का उल्लेख किया गया है। चिकित्सक द्वारा जख्मी का जख्म शरीर के अग्र भाग एवं ललाट के बांये भाग की हड्डी टूटा पाया गया है। वाद दैनिकी के पारा–74 में अभियुक्त सं0–1 **(अभिनंदन कुमार)** के विरूद्ध पूर्व से पांच केस

1. मधेपुरा (भर्राही) थाना कांड सं0– 473/2013, धाराऐं–447, 341, 323, 379, 504, 506/34 भा0द0वि0
2. मधेपुरा (भर्राही) थाना कांड सं0– 73/2018, धाराऐं–341, 323, 354ए, 379 504/34 भा0द0वि0
3. मधेपुरा (भर्राही) थाना कांड सं0– 843/2023, धाराऐं–341, 323, 354ए, 385 504, 506/34 भा0द0वि0
4. मधेपुरा (भर्राही) थाना कांड सं0– 01/2024, धाराऐं–323, 324, 354बी, 379 504, 505/34 भा0द0वि0
5. मधेपुरा (भर्राही) थाना कांड सं0–938/2024, धाराऐं–191(2), 191(3), 115(2), 118(1), 117, 75, 303(2), 352, 351(2) बी0एन0एस0 एवं अभियुक्त संख्या–2 **(पुष्पक कुमार)** के विरूद्ध चार केस :–

1. मधेपुरा (भर्राही) थाना कांड सं0–73/2018, धाराऐं–341, 323, 354ए, 379 504/34 भा0द0वि0
2. मधेपुरा (भर्राही) थाना कांड सं0– 843/2023, धाराऐं–341, 323, 354ए, 385 504, 506/34 भा0द0वि0
3. मधेपुरा (भर्राही) थाना कांड सं0– 01/2024, धाराऐं–323, 324, 354बी, 379 504, 505/34 भा0द0वि0

न्यायालय :– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, मधेपुरा

A.B.P. No.-690/2026

Bharrahi P.S Case No-268/2025

आदेश दिनांक 22 जून, 2026

4. मधेपुरा (भर्राही) थाना कांड सं0–938 / 2024, धाराऐं–191(2), 191(3), 115(2), 118(1), 117, 75, 303(2), 352, 351(2) बी0एन0एस0 एवं अभियुक्त (जमुना देवी) संख्या–3 के विरूद्ध पूर्व से दो केस

1. मधेपुरा (भर्राही) थाना कांड सं0– 843 / 2023, धाराऐं–341, 323, 354ए, 385 504, 506 / 34 भा0द0वि0

2. मधेपुरा (भर्राही) थाना कांड सं0– 01 / 2024, धाराऐं–323, 324, 354बी, 379 504, 505 / 34 भा0द0वि0

के अन्तर्गत दर्ज है। यद्यपि आवेदक अभियुक्तगण संख्या–1 एवं 2 के विरूद्ध सूचक के पति के साथ गाली–गलौज करते हुए लोहे के रड से मारपीट करने का अभियोग है। जिससे सूचिका के पति के नाजूक अंग पर रड से प्रहार करने जिससे ललाट के हड्डी टुट जाने का आरोप लगाया गया है। आवेदक अभियुक्तगण संख्या–1 एवं 2 के विरूद्ध पूर्व से आपराधिक इतिहास भी दर्ज है।

अतः आवेदक अभियुक्तगण संख्या–1 एवं 2 **अभिनंदन कुमार एवं पुष्पक कुमार** की ओर से बी0एन0एस0एस0 की धारा 482 के अन्तर्गत दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन **खारिज** किया जाता है।

आवेदक अभियुक्त संख्या–3 जमुना देवी हैं। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक अभियुक्ता संख्या–3 पर सूचिका के सास के कान का बाली छीनने का अभियोग लगाया गया है। आवेदक अभियुक्ता महिला है। आवेदक अभियुक्ता पर कोई विशिष्ट अभियोग नहीं है।

उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं वाद की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक अभियुक्त सं0–3 को अग्रिम जमानत का लाभ देना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः अभियुक्ता **जमुना देवी** को गिरफ्तार / आत्म–समर्पण करने पर मो0 10,000 / –रुपये के बंध–पत्र के दो समान राशि के प्रतिभू के साथ जमानत बंध–पत्र दाखिल करने पर एवं अधीनस्थ न्यायालय के संतुष्टि होने पर, जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है तथा आवेदक अभियुक्ता इस आदेश के अधीनस्थ न्यायालय में प्राप्ति के **15 दिनों** के अन्दर न्यायालय में समर्पण करें तथा संबंधित न्यायालय धारा 482 बी.एन.एस.एस. के शर्तों के आलोक में इसे जमानत पर छोड़ने का आदेश करें।

लेखापित

ह0 / –

(धीरेन्द्र कुमार राय)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय,
मधेपुरा।